



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 11—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 640]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रिल 7, 2010/चैत्र 17, 1932

No. 640]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 7, 2010/CHAITRA 17, 1932

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

का.आ. 769(अ).—केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से पश्चिम बंगाल राज्य के ऐसे पौधों और पशुओं की जातियाँ जो नीचे सारणी के स्तम्भ (2) की सूची के अनुसार लुप्त होने के कगार पर हैं अधि सूचित करती हैं, अर्थात् :—

सारणी

क्र. सं. जातियों के नाम

(1) (2)

पौधे

- हिबिसकस फ्रेग्रेस रोक्सब्री
 - स्ट्रेप्टोकाडलोन सिल्वेस्टर वाइट
- पशु
- सस सल्वेनियस (होजसन, 1947)
 - सर्वस ड्यूवाडसेल्ली (क्यूबियर, 1823)
 - प्लाटिनेस्टा गेंगेटिका (रोक्सबर्ग, 1801)

(1)

(2)

- ट्रेकीपियेकस गेई (खजूरिया, 1956)
- पेंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस (लिनिअस, 1758)
- आर्डियाईसगनिस (ह्यूम, 1878)
- जिप्स बेंगालिसिस (मिलिन, 1788)
- जिप्स टेन्युरोस्टिस (ग्रे, 1844)
- हीटरोग्लॉक्स ब्लेविटी (ह्यूम, 1873)
- सर्कोजिप्स काल्वस (स्कोपोली, 1786)
- बायगुर बास्का (ग्रे, 1831)
- एरिएमोचेलिस इम्ब्रिकाटा (लिनिअस, 1766)
- काचुगा काचुगा (ग्रे, 1831)
- गैविअलिस गेंगेटिकस (मिलिन, 1789)
- जीलिफिस गेंगेटिकस (मूल्सर एंड हेनले, 1839)
- प्रिस्टिस माइक्रोडोन (लेथाम, 1794)
- प्रिस्टिस जिजस्टोन (ब्लीकर, 1851)

2. सारणी के स्तम्भ (2) सूचीबद्ध पौधों और पशुओं की जातियों के संग्रह का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही पश्चिम

बंगाल राज्य जैव विविधता बोर्ड के अनुमोदन के सिवाय प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात् :—

- (क) वैज्ञानिक अनुसंधान;
 (ख) वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थाओं के वनस्पति संग्रहालय और संग्रहालय;
 (ग) प्रचार; और
 (घ) कोई अन्य वैज्ञानिक अन्वेषण।

3. पश्चिम बंगाल राज्य जैव विविधता बोर्ड निम्नलिखित का भार अपने ऊपर लेगा —

- (i) संपूर्ण समझ के लिए अधिसूचित जातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन;
 (ii) यथावत और पूर्ववत् संरक्षण और पुनर्वास के प्रयोजन के लिए अधिसूचित जातियों का प्रचार; और
 (iii) वन विभाग के कार्मिक, जैव विविधता प्रबंध समितियों, पारिस्थितिक पर्यटन कार्यक्रम और जनजातियों और जनजातियों के लिए अधिसूचित जातियों पर जानकारी कार्यक्रम आयोजित करना और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करना।

[फा. सं. 28-12/2008-सी एस-III]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2010

S.O. 769(E).—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal, hereby notifies the species of plants and animals which are on the verge of extinction, as listed in column (2) of the Table below, for the State of West Bengal, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Species
(1)	(2)
Plants	
1.	Hibiscus fragrans Roxb.
2.	Streptocaulon sylvestre Wight
Animals	
1.	Sus salvanius (Hodgson, 1847)
2.	Cervus duvaucelii (Cuvier, 1823)

(1)	(2)
3.	Platinesta gangetica (Roxburgh, 1801)
4.	Trachypithecus gooi (Khajuria, 1956)
5.	Panthera tigris tigris (Linnaeus, 1758)
6.	Ardea insignis (Hume, 1878)
7.	Gyps bengalensis (Gmelin, 1788)
8.	Gyps tenuirostris (Gray, 1844)
9.	Heteroglaux blewitti (Hume, 1873)
10.	Sarkogyps calvus (Scopoli, 1786)
11.	Batagur baska (Gray, 1831)
12.	Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766)
13.	Kachuga kachuga (Gray, 1831)
14.	Gavialis gangeticus (Gmelin, 1789)
15.	Glyphis gangeticus (Muller & Henle, 1839)
16.	Pristis microdon (Latham, 1794)
17.	Pristis zijsron (Bleeker, 1851)

2. The collection of the species of plants and animals listed in column (2) of the Table shall be prohibited, except with the approval of the West Bengal State Biodiversity Board only for the purposes mentioned below, namely :—

- (a) scientific research;
 (b) herbarium and museum of scientific and academic institutions;
 (c) propagation; and
 (d) any other scientific investigation.

3. The West Bengal State Biodiversity Board shall undertake :—

- (i) studies on all aspects of the notified species for holistic understanding;
 (ii) propagation of the notified species for the purpose of *in situ* and *ex situ* conservation and rehabilitation; and
 (iii) awareness programmes and provide educational materials on notified species for forest department personnel, Biodiversity Management Committees, ecotourism programmes, and forest dwellers and tribals.

[F. No. 28-12/2008-CS-III]

A. K. GOYAL, Jt. Secy.